

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-7) विभाग


क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021

जयपुर, दिनांक: 13.01.2022

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:-

1. बिन्दु संख्या 15 में सम्मिलित आवश्यक सेवाओं में दूध, फल-सब्जियाँ एवं अन्य Perishable food items के विक्रय से सम्बन्धित दुकानों/स्टोर्स को भी सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक रविवार कर्फ्यू के दौरान समयानुसार संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश आदेश यथावत् रहेंगे।

  
(अमय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

  
(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव, गृह